प्रारंभिक परीक्षा

मातृवंशीय खासी वंश अधिनियम (Matrilineal Khasi Lineage Act)

संदर्भ

मेघालय उच्च न्यायालय उस कानून को चुनौती देने वाली याचिका की समीक्षा कर रहा है, जो खासी व्यक्तियों को अपने पिता या पति का उपनाम इस्तेमाल करने पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र देने से इनकार करता है। न्यायालय ने मातृवंशीय खासी समाज में इसकी वैधता पर सवाल उठाया है।

मातृवंशीय खासी वंश अधिनियम -

- **अधिनियमित:** खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद
- **उद्देश्य**: खासी जनजाति के मातृवंशीय सामाजिक रीति-रिवाजों की रक्षा एवं संरक्षण करना तथा लाभ के लिए जनजातीय दर्जे के दुरुपयोग को रोकना।
- **क्षेत्राधिकार**: मेघालय के खासी हिल्स स्वायत्त जिले में लागू।

मूल सिद्धांत: मातृवंशीयता -

- **वंश का पता माता से चलता है, पिता से नहीं।**
- किसी व्यक्ति को खासी तभी माना जाता है जब वह मातृवंशीय व्यवस्था, उत्तराधिकार और खासी रीति-रिवाजों का पालन करता हो।
- बच्चे माता के कुल (कुर/जैत) का नाम लेते हैं।

खासी कौन है?

- माता-पिता दोनों खासी → बच्चा खासी (माँ का गोत्र) है।
- माता खासी + पिता गैर-खासी → बच्चा खासी तभी होगा जब:
  - वह खासी बोलता हों।
  - खासी विरासत और रिश्तेदारी के रीति-रिवाजों का पालन करता हों।
  - पिता के निजी कानून या उपनाम को नहीं अपनाया हो।
- पिता खासी + माता गैर-खासी → बच्चा खासी तभी होगा जब **"तांग जैत" समारोह (प्रथागत गोत्र दत्तक ग्रहण) किया गया हो।**
- **तांग जैत और रैपिंग -**
  - **तांग जैत**: खासी पिताओं के गैर-खासी व्यक्तियों को खासी कबीले में अपनाने का समारोह।
  - **रैपिंग**: खासी परिवार में महिला वंश के समाप्त हो जाने पर किसी महिला सदस्य को गोद लेना।
- **खासी दर्जा का नुकसान -**
  - ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति:
    - मातृवंशीय रीति-रिवाजों का त्याग करता है।
    - पिता के उपनाम या व्यक्तिगत कानून का उपयोग करता है।
    - खासी परंपराओं के साथ असंगत रीति-रिवाजों को अपनाता है।
  - **परिणाम**: संपत्ति के अधिकार, एसटी लाभ और कबीले की पहचान का नुकसान।
- **उपनाम परिवर्तन नियम -**
  - उपनाम/कुल का नाम स्वतंत्र रूप से नहीं बदला जा सकता।
  - इसके लिए आधिकारिक याचिका, सार्वजनिक अधिसूचना और सत्यापन आवश्यक है।
  - कुल या कुर का नाम मातृवंशीय परंपरा के अनुरूप होना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता
(Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA)

संदर्भ

भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक CETA पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु तथा शिक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए **भारत-ब्रिटेन विजन 2035 का अनावरण किया,** जिसका लक्ष्य साझा विकास, स्वच्छ ऊर्जा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है।

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता 2025 -

- **बाजार पहुंच और टैरिफ में कटौती**
  - **ब्रिटेन को भारत से होने वाले 99% निर्यात अब शुल्क-मुक्त होंगे।**
  - ब्रिटेन अपनी 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करेगा, और 10 वर्षों के भीतर 85% टैरिफ लाइनों पर शुल्क शून्य हो जाएँगे।
  - **श्रम-प्रधान क्षेत्र:** समुद्री, वस्त्र, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और आधार धातुएँ, को प्रमुख लाभ।
  - **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शुल्क 70% से घटाकर 0% कर दिया गया है।**
- **कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था**
  - 95% से अधिक कृषि वस्तुओं को शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त होगी।
  - फलों, सब्जियों, दालों, मसालों, बाजरा, कटहल, जैविक जड़ी-बूटियों के निर्यात को बढ़ावा।
  - 3 वर्षों में कृषि-निर्यात में 20% की वृद्धि का अनुमान।
  - डेयरी, सेब, जई और खाद्य तेल जैसी संवेदनशील वस्तुओं को इस समझौते से बाहर रखा गया है।
- **समुद्री क्षेत्र के अवसर**
  - **प्रमुख उत्पादों पर शून्य टैरिफ:** झींगा, टूना, मछली का भोजन।
  - भारत का वर्तमान यू.के. हिस्सा मात्र 2.25% है - मजबूत वृद्धि की उम्मीद है।
  - तटीय अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा।
- **वस्त्र एवं परिधान**
  - 1,143 वस्त्र श्रेणियों को पूर्ण शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है।
  - बांग्लादेश और कंबोडिया पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल की।
  - **फोकस:** रेडीमेड वस्त्र, कालीन, हस्तशिल्प, घरेलू वस्त्र।
  - ब्रिटेन के बाजार हिस्से में 5% की वृद्धि की संभावना।
- **इंजीनियरिंग और औद्योगिक सामान**
  - भारत का ब्रिटेन को इंजीनियरिंग निर्यात 2030 तक दोगुना होकर 7.5 बिलियन डॉलर हो सकता है।
  - 18% तक के टैरिफ समाप्त कर दिए गए।
  - वर्तमान में, भारत 4.28 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है; ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर 193.5 बिलियन डॉलर का आयात करता है - जो कि एक बड़ा दायरा है।
- **फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण**
  - जेनेरिक दवाओं और उपकरणों के लिए टैरिफ मुक्त पहुंच।

- **ब्रिटेन का फार्मा आयात:** 30 बिलियन डॉलर, लेकिन भारत केवल 1 बिलियन डॉलर की आपूर्ति करता है।
- **लक्षित उत्पाद:** एक्स-रे मशीन, ईसीजी, सर्जिकल उपकरण।

- **रसायन और प्लास्टिक**
  - वित्त वर्ष 2026 में रासायनिक निर्यात 30-40% बढ़कर 650-750 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
  - प्लास्टिक (फिल्म, रसोई के बर्तन) के निर्यात में 15% की वृद्धि होगी।
  - प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा।
- **खिलौने, खेल के सामान, रत्न और आभूषण**
  - खिलौने और खेल के सामान ने चीन और वियतनाम पर बढ़त हासिल कर ली है।
  - आभूषण निर्यात 2-3 वर्षों में दोगुना हो सकता है, जिसका लक्ष्य ब्रिटेन का 3 बिलियन डॉलर का बाजार है।
- **चमड़ा और जूते**
  - चमड़े के सामान और जूतों पर 16% टैरिफ हटा दिया गया।
  - **निर्यात लक्ष्य:** 900 मिलियन डॉलर से अधिक, जिससे आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई जैसे एमएसएमई केन्द्रों को लाभ होगा।
- **सेवाएँ और श्रम गतिशीलता**
  - 75,000 भारतीय कामगारों को 3 वर्षों के लिए ब्रिटेन के सामाजिक सुरक्षा कानून से छूट दी गई।
  - 36 सेवा क्षेत्र बिना किसी आर्थिक आवश्यकता परीक्षण (ENT) के खोले गए।
  - भारतीय पेशेवर 35 ब्रिटिश क्षेत्रों में 2 वर्षों तक काम कर सकते हैं।
  - प्रतिवर्ष 1,800 रसोइयों, योग प्रशिक्षकों और कलाकारों को अनुमति दी जाएगी।

प्रभाव और रणनीतिक लाभ -

- **क्षेत्रीय लाभ**
  - **भारत के प्रमुख निर्यातों को बढ़ावा:** कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, वस्त्र, समुद्री भोजन, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग।
  - व्हिस्की, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल्स के लिए भारतीय बाजारों तक आसान पहुंच प्राप्त हुई।
- **व्यापार वृद्धि अनुमान**
  - भारत को ब्रिटेन का निर्यात 60% बढ़ सकता है, जो 2040 तक £15.7 बिलियन तक बढ़ सकता है।
  - कुल द्विपक्षीय व्यापार में 39% की वृद्धि होगी**,** जिससे प्रतिवर्ष 25.5 बिलियन पाउंड की वृद्धि होगी।
- **RCEP के बाद रणनीतिक पुनर्विन्यास**
  - **RCEP** (2019) से बाहर निकलने के बाद, भारत ने अपना ध्यान पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित कर दिया।
  - यह समझौता उच्च मानक व्यापार साझेदारी के लिए भारत की तत्परता को दर्शाता है।

अन्य देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता

FTA पार्टनर	हस्ताक्षर वर्ष	मुख्य अंश
यूएई (CEPA)	2022	90% निर्यात शुल्क मुक्त, रत्न, वस्त्र, फार्मा को बढ़ावा, 85 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार
ऑस्ट्रेलिया (ECTA)	2022	96% निर्यात शुल्क मुक्त, कपड़ा, चमड़ा और रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लाभ

दक्षिण कोरिया (CEPA)	2010	85% निर्यात पर टैरिफ कटौती, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, फार्मा पर ध्यान केंद्रित, समीक्षाधीन
जापान (CEPA)	2011	94% व्यापारिक वस्तुएँ शुल्क-मुक्त, रोबोटिक्स, आईटी, दुर्लभ मृदाओं में लाभ
आसियान FTA	2009 (माल), 2014 (सेवाएँ)	व्यापार एवं सेवाएं, व्यापार घाटे की चिंता, समीक्षाधीन
मॉरीशस (CECPA)	2021	पहला अफ्रीकी FTA, 615 वस्तुएं शुल्क मुक्त, आईटी, बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल
चिली (PTA)	2017 (विस्तारित)	1,000 से अधिक वस्तुओं पर रियायतें, लैटिन अमेरिकी जुड़ाव में प्रारंभिक कदम
यूके (FTA)	**2025**	**99% निर्यात शुल्क मुक्त, कृषि, समुद्री, फार्मा, सेवाओं, गतिशीलता को बड़ा बढ़ावा**
FTA पर बातचीत चल रही है	बातचीत चल रही है	यूरोपीय संघ, जीसीसी, कनाडा, इज़राइल - सेवाओं, स्थिरता, श्रम गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित
RCEP(बाहर)	**2019 में बाहर निकल गया**	**भारत ने चीनी आयात संबंधी चिंताओं के कारण कदम पीछे खींचे; पश्चिमी द्विपक्षीय FTA पर ध्यान केंद्रित**

स्रोत: द हिंदू

वापस बुलाने का अधिकार(Right to Recall)

संदर्भ

हजारों लोग ताइपे में एक समर्थक रैली के लिए एकत्र हुए, जहां दो दर्जन ताइवानी विपक्षी सांसदों और एक मेयर को वापस बुलाने के लिए चुनाव(रिकॉल चुनाव) का सामना करना पड़ा।

वापस बुलाने के लिए चुनाव या रिकॉल चुनाव क्या है?

- **रिकॉल चुनाव मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किसी निर्वाचित अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने की अनुमति देता है।**
- इसकी शुरुआत तब होती है जब आवश्यक संख्या में मतदाता वापस बुलाने की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर करते हैं।
- इसकी ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन **एथेनियन लोकतंत्र** में हैं।
- **आधुनिक प्रयोग**: **कनाडा** (ब्रिटिश कोलंबिया में 1995 से) और कई अमेरिकी राज्यों (कदाचार जैसे आधार पर) सहित कई लोकतांत्रिक देशों में पाया जाता है।

भारतीय संदर्भ में स्मरण -

- भारतीय दर्शन में यह कोई नई बात नहीं है - वैदिक युग के दौरान राजधर्म का विचार अप्रभावी शासकों को हटाने पर जोर देता था।
- **एम.एन. रॉय (1944)** ने प्रतिनिधियों के चुनाव और वापसी के प्रावधानों के साथ विकेन्द्रीकृत शासन की वकालत की।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (ROPA), 1951** केवल कुछ अपराधों के मामलों में ही पद छोड़ने की अनुमति देता है, सामान्य अक्षमता या सार्वजनिक असंतोष के मामले में नहीं।
- पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने एक बार अधिक जवाबदेही के लिए राइट टू रिकॉल लागू करने का प्रस्ताव रखा था।
- **यह व्यवस्था मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय सरकार के स्तर पर लागू है।**
- **राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों द्वारा सांसदों या विधायकों को वापस बुलाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।**

स्रोत: द हिंदू

समाचार में स्थान

बित्रा द्वीप(Bitra island)

समाचार? लक्षद्वीप प्रशासन रणनीतिक रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए द्वीपसमूह के एक बसे हुए द्वीप, बित्रा द्वीप को अधिग्रहित करने की संभावना तलाश रहा है।

इसके बारे में -

- **अवस्थिति:** लक्षद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है।
- यह लक्षद्वीप द्वीपसमूह का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है।
- **धार्मिक स्थल**: यहाँ मलिक मुल्ला को समर्पित एक दरगाह है, ऐसा माना जाता है कि एक अरब संत को इस द्वीप पर दफनाया गया था, जिसके कारण यह एक तीर्थस्थल बन गया है।
- **पारिस्थितिक महत्व:** एक समय यह विभिन्न समुद्री पक्षी प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता था।
- **सामरिक महत्व**
  - लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा अधिग्रहण के लिए बित्रा पर विचार कर रहा है।
  - लक्षद्वीप में रक्षा प्रतिष्ठान वाला तीसरा द्वीप बन जाएगा।
  - **मौजूदा नौसैनिक अड्डे:**
    - आईएनएस द्वीपरक्षक - कावारत्ती (यूटी राजधानी) में स्थित है।
    - आईएनएस जटायु - मिनिकॉय द्वीप में स्थित है।

स्रोत: द हिंदू

संपादकीय सारांश

जलवायु परिवर्तन पर ICJ का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक **ऐतिहासिक सलाहकारी राय** दी है, जिसमें कहा गया है कि **अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रों का कानूनी दायित्व है कि वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करें, वैश्विक जलवायु उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करें तथा भविष्य में जलवायु मुकदमेबाजी का समर्थन करें।**

पृष्ठभूमि: वानुअतु का जलवायु न्याय अभियान -

- **सितंबर 2021** में, प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप राष्ट्र, वानुअतु ने एक अभियान शुरू किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से राष्ट्रों की जलवायु जिम्मेदारियों पर कानूनी राय जारी करने का आग्रह किया गया।
- इस कदम का उद्देश्य बढ़ते समुद्री स्तर के कारण कमजोर द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के खतरे को उजागर करना था।

संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और ICJ की भागीदारी

- **मार्च 2023** में, वानुअतु की पैरवी के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो प्रमुख प्रश्नों पर **ICJ** की राय का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया:
    1. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राष्ट्रों के कानूनी दायित्व क्या हैं?
    2. इन दायित्वों का उल्लंघन करने और पर्यावरणीय क्षति पहुंचाने के क्या परिणाम होंगे?
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, ऐसी सलाहकार राय - यद्यपि गैर-बाध्यकारी - मजबूत कानूनी और नैतिक महत्व रखती हैं और वैश्विक कानून को आकार देने में मदद करती हैं।

ICJ का ऐतिहासिक फैसला: जलवायु कार्रवाई एक कानूनी कर्तव्य है -

- **ICJ ने घोषणा की कि जलवायु कार्रवाई एक बाध्यकारी कानूनी दायित्व है, न कि नीतिगत विकल्प।**
- यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, यूएनसीएलओएस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे प्रमुख समझौतों का हवाला देते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि:
    - सभी देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी होगी।
    - विकसित देशों (अनुलग्नक I) को उत्सर्जन में कमी लाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और वित्त से सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- कार्रवाई करने में विफलता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य माना जाएगा, जिसके लिए प्रभावित राष्ट्रों को संभावित रूप से मुआवजा देना पड़ेगा।
- यदि निजी कम्पनियां प्रभावी विनियमन लागू करने में विफल रहती हैं तो देशों को निजी कम्पनियों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ICJ की राय का महत्व -

- यह जलवायु जवाबदेही में एक नैतिक और कानूनी मोड़ है।
- यद्यपि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी यह राय जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे प्रामाणिक व्याख्या है।
- अपर्याप्त जलवायु उपायों के लिए सरकारों और निगमों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में इसका हवाला दिया जा सकता है।

वैश्विक जलवायु उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना -

- यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से विकसित देशों में, जलवायु लक्ष्यों के प्रति उदासीनता देखी जा रही है।

- **पुनः जोर देते हुए कहा गया कि जलवायु लक्ष्य कानूनी दायित्व हैं, न कि केवल स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएं।**
- जलवायु न्याय की मांग करने वाले विकासशील और कमजोर देशों की आवाज को मजबूत करता है।

हानि और क्षति: कानूनी मान्यता -

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने "हानि और क्षति" के सिद्धांत को मान्यता दी।**
- यह मान्यता दी गई कि प्रभावित देशों, जिन्हें "घायल राज्य" कहा जाता है, को प्रमुख प्रदूषकों से क्षतिपूर्ति और पूर्ण मुआवज़ा पाने का अधिकार है।
- ऐतिहासिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले देशों और उद्योगों के विरुद्ध मुकदमों के लिए नए कानूनी रास्ते खोले गए।

चुनौतियाँ और कानूनी दुविधाएँ -

- अदालत ने कहा कि केवल कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है - इसकी प्रभावशीलता और पर्याप्तता को चुनौती दी जा सकती है।
- हालाँकि, पेरिस समझौता स्व-निर्धारित लक्ष्यों की अनुमति देता है, जिससे पर्याप्तता के आकलन में अस्पष्टता पैदा होती है।
- इससे कानूनी विवाद या प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है - यहां तक कि विकासशील देशों से भी।

निष्कर्ष: एक शक्तिशाली मिसाल -

- यद्यपि यह निर्णय तत्काल कानूनी दायित्व लागू नहीं करता है, फिर भी यह एक मजबूत वैश्विक मिसाल कायम करता है।
- **इसका वास्तविक प्रभाव इस प्रकार प्रकट होगा:**
    - राष्ट्रीय न्यायालयों ने मुकदमों में इसका हवाला देना शुरू कर दिया है।
    - सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय निकाय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु जवाबदेही की इसकी व्याख्या पर प्रतिक्रिया देते हैं।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि के साथ, डूबने से बचाव पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए

संदर्भ

25 जुलाई को **विश्व डूबने से बचाव दिवस** मनाया जाता है, यह दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़ और भारी बारिश छोटे जल निकायों को भी घातक खतरों में बदल देती है, जिससे डूबने से बचाव पहले से कहीं अधिक जरूरी हो जाता है।

भारत में डूबने से बचाव की तत्काल आवश्यकता क्यों है?

- **उच्च और कम रिपोर्ट की गई मृत्यु दर**: भारत में डूबना अनजाने में होने वाली मौतों का एक प्रमुख, लेकिन अक्सर कम रिपोर्ट किया जाने वाला कारण है। डूबने से होने वाली मौतों का एक महत्वपूर्ण अनुपात - लगभग एक-तिहाई - 0-14 आयु वर्ग में होता है।
- **जोखिम की गलत धारणा**: लोग आमतौर पर डूबने को बड़े जल निकायों से जोड़ते हैं, तथा खुले पानी के टैंक, गड्ढे, बाल्टियाँ, नालियाँ और सड़क के किनारे की नहरों जैसे रोजमर्रा के खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं - विशेष रूप से शहरी स्थानों में।
- **शहरीकरण और जलवायु प्रभाव**: शहरी बाढ़ जैसी जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं में वृद्धि के साथ, खराब रखरखाव वाले बुनियादी ढाँचे में उथला, स्थिर पानी भी घातक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि बाढ़ से संबंधित 75% मौतें डूबने से होती हैं।
- **बच्चों और हाशिए पर पड़े समूहों की भेद्यता**: बच्चों को, विशेष रूप से मलिन बस्तियों या कम आय वाले शहरी इलाकों में, पर्यवेक्षण के अभाव, तैराकी कौशल की कमी और असुरक्षित बुनियादी ढांचे के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- **नीतिगत ढांचे में उपेक्षा**: राष्ट्रीय आपदा रणनीतियों में डूबने को प्राथमिकता के रूप में शायद ही कभी निर्दिष्ट किया जाता है, और यहां तक कि स्मार्ट सिटी मिशन या जेएनएनयूआरएम जैसे शहरी नवीकरण मिशनों में भी बाढ़ के प्रति लचीलापन और डूबने के जोखिम पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

डूबने से बचाव में प्रमुख चुनौतियाँ -

- **खराब शहरी डिज़ाइन और रखरखाव**: बिना बाड़ वाले तालाब, बिना ढके टैंक, खुली नालियाँ और बिना चिन्हित नहरें आम हैं। जहाँ बुनियादी ढाँचा मौजूद है, वहाँ भी रखरखाव और मरम्मत की कमी से खतरा बढ़ जाता है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण और योजना**: शहरी स्थानीय निकायों को नियमित रखरखाव के लिए वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद भी खतरनाक वातावरण बना रहता है।
- **जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का अभाव**: इस बात के बारे में लोगों में जागरूकता बहुत कम है कि डूबना कितनी आसानी से हो सकता है - यहां तक कि एक इंच पानी में भी - और स्कूलों, घरों या सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है।
- **कड़े नियमों का अभाव**: अधिकांश भारतीय शहरों में बाड़ लगाने, टैंकों को ढकने या अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं हैं।
- **कोई समर्पित राष्ट्रीय स्तर की रणनीति नहीं**: यद्यपि एनडीएमए के पास शहरी बाढ़ पर दिशानिर्देश हैं, लेकिन डूबने की रोकथाम को राष्ट्रीय आपदा या चोट-रोकथाम नीतियों में एकीकृत नहीं किया गया है।

डूबने से बचाव कैसे संभव है?

- **अवसंरचना और डिजाइन सुधार:** जल निकायों के चारों ओर बाड़ लगाना, टैंकों पर ढक्कन लगाना, नालियों पर जाली लगाना और दृश्यमान चेतावनी संकेत जैसी सुरक्षा सुविधाओं को डिजाइन करना अनिवार्य करें।

    - स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के अंतर्गत शहरी नियोजन में बाढ़ प्रतिरोधकता को एकीकृत करना।
    - स्कूलों, पार्कों और आवासीय कॉलोनियों में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता देना।
- **नीति और शासन:** अनजाने में होने वाली चोट की रोकथाम और आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए राष्ट्रीय रणनीति में डूबने को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करना।
    - शहरी बाढ़ शमन और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए समर्पित निधि आवंटित करना।
- **सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी:** सुरक्षा के प्रति सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करें - जैसे कि खतरों का स्थानीय ऑडिट, निगरानी के लिए स्वयं सहायता समूह, और शिकायत तंत्र।
    - निजी डेवलपर्स को उनकी निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों के लिए जवाबदेह बनाएं ।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** डूबने से बचाव की तकनीकों में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं, पुलिस और स्कूल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
    - बुनियादी तैराकी पाठ और जल सुरक्षा शिक्षा शामिल करना।
- **डेटा और निगरानी:** कारणों, स्थानों और कमजोर जनसांख्यिकी पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत डूबने की निगरानी प्रणाली स्थापित करना।
    - लक्षित हस्तक्षेपों के लिए डेटा का उपयोग करना - जैसे मलिन बस्तियों, बाढ़-प्रवण शहरी क्षेत्रों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना।

स्रोत: द हिंदू

स्वास्थ्य कर्मियों का प्रवास

संदर्भ

भारत, फिलीपींस और श्रीलंका जैसे देश वैश्विक उत्तर में विकसित देशों (जैसे, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया) को स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के प्रमुख निर्यातक हैं।

चिकित्सा पेशेवरों के प्रवासन में वर्तमान रुझान -

- **ओईसीडी देशों में विदेशी प्रशिक्षित पेशेवरों की बढ़ती संख्या**: 2009 और 2019 के बीच, प्रमुख ओईसीडी देशों में 25-32% डॉक्टर दक्षिण एशिया और अफ्रीका से चिकित्सा स्नातक थे।
- **भारत का महत्वपूर्ण योगदान**: लगभग 75,000 भारतीय प्रशिक्षित डॉक्टर और
    - 640,000 भारतीय नर्सें विदेशों में काम कर रही हैं (फिलीपींस में 193,000 से अधिक नर्सें विदेशों में काम कर रही हैं)।
- **औपचारिक प्रवासन नीतियां**: भारत और फिलीपींस जैसे देशों ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी होने के बावजूद धन प्रेषण लाभ के लिए उनके निर्यात को संस्थागत बना दिया है।

प्रवासन को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक -

- **उच्चतर वेतन और बेहतर कार्य स्थितियां**: विकसित देश काफी बेहतर वेतन, सुविधाएं और कैरियर की संभावनाएं प्रदान करते हैं।
- **विकसित देशों में वृद्ध होती जनसंख्या**: जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में घटती जन्म दर और वृद्ध होती जनसांख्यिकी के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लगातार कमी हो रही है, जिससे विदेशी पेशेवरों की मांग बढ़ रही है।
- **अनुकूल आव्रजन और भर्ती नीतियां**: व्यापार समझौते, द्विपक्षीय व्यवस्थाएं और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय भर्ती कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आकर्षित करते हैं।
- **व्यावसायिक विकास के अवसर:** विदेशों में उन्नत प्रशिक्षण, विशेषज्ञता और अनुसंधान के अवसरों की उपलब्धता एक मजबूत आकर्षण का केंद्र है।
- **स्वास्थ्य संकट और महामारी:** कोविड-19 जैसी घटनाओं ने प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से उन देशों में जहां स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव है।

भारत पर प्रभाव -

- **घरेलू कार्यबल की कमी**: उच्च प्रवासन के बावजूद, भारत को ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- **प्रतिभा पलायन**: प्रशिक्षित कार्मिकों का निरंतर पलायन भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की क्षमता को सीमित करता है, विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान।
- **सार्वजनिक निवेश की हानि**: चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है, तथा उनका विदेश प्रवासन शुद्ध संसाधन हानि का प्रतिनिधित्व करता है।
- **धन प्रेषण के माध्यम से आर्थिक लाभ**: प्रवासन धन प्रेषण में योगदान देता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। हालाँकि, यह घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्वास्थ्य सेवा संबंधी कमियों की भरपाई नहीं करता है।
- **चिकित्सा कूटनीति में वृद्धि**: भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों और प्रभाव को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से अफ्रीका और पड़ोसी क्षेत्रों में, अपने स्वास्थ्य पेशेवरों का तेजी से लाभ उठा रहा है।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **घरेलू स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता को मजबूत करना:** प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।
    - वित्तीय प्रोत्साहन, कैरियर विकास और बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।

    - चक्रीय प्रवास को प्रोत्साहित करना - जहां पेशेवर लोग अनुभव प्राप्त करने के बाद वापस लौटते हैं।
- **रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते विकसित करना:** गंतव्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत करना जो सुनिश्चित करें:
    - स्रोत देशों के लिए मुआवजा तंत्र
    - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण संस्थानों में निवेश, या सेवा वापसी दायित्व
- **संस्थागत सुधार:** स्वास्थ्य कार्यबल की गतिशीलता, शिकायतों और पुनः एकीकरण के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी की स्थापना की जाएगी (केरल या फिलीपींस की तर्ज पर)।
    - डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफार्मों को लागू करना जो भौतिक प्रवास के बिना भारतीय पेशेवरों को दूरस्थ वैश्विक जुड़ाव की अनुमति देते हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण, साझाकरण और तैनाती के लिए दक्षिण एशिया में संयुक्त तंत्र विकसित करना।
    - वैश्विक उत्तर के साथ उचित शर्तों पर बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय आवाज को बढ़ावा देना।
- **जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करना:** स्वास्थ्य कर्मियों की अंतर्राष्ट्रीय भर्ती पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक अभ्यास संहिता के साथ प्रवासन को संरेखित करना।
    - यह सुनिश्चित करना कि कूटनीतिक और आर्थिक हित राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर हावी न हों।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस**

23 जुलाई को CAP में सुधार

- **आर्टेमिस समझौता: <u>समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों</u>** की वर्तमान संख्या 56 है (सेनेगल सहित)।